न्यायालय विशेष न्यायाधीश–विद्युत अधिनियम /अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया।

विशेष वाद संख्या–10A/2015
राज्य बनाम घनश्याम

मु०अ०सं०-**287/2015**
धारा-**138(b)भारतीय विद्युत अधिनियम**
थाना-**कोतवाली औरैया** जिला-औरैया

आरोप

मैं पारूल जैन, विशेष न्यायाधीश-विद्युत अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, औरैया, आप अभियुक्त **घनश्याम** पर निम्नलिखित आरोप आरोपित करती हूँ-

1. यहकि दिनांक 30.03.2015 को समय 00.00 बजे स्थान पछईया मोहल्ला में आपको अवर अभियन्ता विवेक खरे व उनके अन्य सहकर्मियों के द्वारा विद्युत चैकिंग दौरान अवैध रूप से पूर्व में बकाया विद्युत बिल जमा किये अपने स्तर से संयोजन जोड़कर विद्युत चोरी कर विद्युत का उपभोग करते हुये पाया गया। इस प्रकार आपका उक्त कृत्य धारा-138(b) भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा मैं आपको निर्देशित करती हूँ कि उक्त आरोप हेतु आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक–24.11.2025

(पारूल जैन)
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

दिनांक–24.11.2025

(पारूल जैन)
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2025.11.24 16:22:36 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1,Auraiya

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश–विद्युत अधिनियम /अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया।</u>

विशेष वाद संख्या–10A/2015
राज्य बनाम घनश्याम

मु०अ०सं०-**287/2015**
धारा-**138(b)भारतीय विद्युत अधिनियम**
थाना–**कोतवाली औरैया** जिला–औरैया

<u>दिनांक–24.11.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त **घनश्याम** स्वयं उपस्थित तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

उभयपक्षों को आरोप विरचन पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क दिया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138(b)भारतीय विद्युत अधिनियम का आरोप विरचित किया जाए।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन का कोई औचित्य नहीं है। अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त को उन्मोचित किया जाए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138(b)भारतीय विद्युत अधिनियम में आरोप विरचित करने का पर्याप्त आधार है।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138(b)भारतीय विद्युत अधिनियम में आरोप विरचन हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक–24.11.2025

(पारूल जैन)
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

पत्रावली लंच बाद पेश हुयी। अभियुक्त **घनश्याम** के विरूद्ध धारा 138(b)भारतीय विद्युत अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 26.11.2025 को पेश है।

दिनांक–24.11.2025

(पारूल जैन)
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।